

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1 से 2

जिला कबीरधाम, जिला जांजगीर-चांपा एवं जिला महासमुन्द में अनुसूचित जाति/जन जाति पुलिस थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु रूपये 65.00 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	उप निरीक्षक	03	4500-7000
2	सहायक उप निरीक्षक	06	4000-6000
3	प्रधान आरक्षक	12	3500-5200
4	आरक्षक	48	3050-4590
	योग:-	69	

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति के कक्षा 9 वी एवं 10वी की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय करने हेतु राशि रूपये 7.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मधाईभाठा, वि.ख. बिलाईगढ़ जिला रायपुर में 50 सीटर अनुसूचित जाति प्री.मैट्रि क बालक छात्रावास खोलने हेतु राशि रूपये 300 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पद का नाम	संख्या	वेतनमान
1.	शिक्षा कर्मी वर्ग-2(अधीक्षक)	01	5000-8000
2.	रसोईया	01	आकस्मिकता स्थापना
3.	पानीवाला	01	आकस्मिकता स्थापना
4.	चौकीदार	01	आकस्मिकता स्थापना
	योग:-	04	

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 से 6

यूरोपियन कमीशन राज्य की साझेदारी कार्यक्रम हेतु राशि रूपये 321.25 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,21,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 7 से 12

राज्य शासन के निर्णयानुसार थानखम्हरिया जिला-दुर्ग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने पर राशि रूपये 61.75 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
1	खंड चिकित्सा अधिकारी	1	10000-15200
2	विशेषज्ञ मेडि./सर्जन/स्त्री रोग/शिशुरोग	4	10000-15200

3	पी.जी.एम.ओ.निश्चेतना	1	8000-13500
4	नर्सिंग सिस्टर	1	4500-7000
5	बी.ई.ई.	1	4000-6000
6	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	1	4000-6000
7	डाटा एंट्री ऑपरेटर	1	3500-5200
8	सहायक ग्रेड-3	1	3050-4590
9	स्टॉफ नर्स	3	4000-6000
10	एल.एच.व्ही.	2	3050-4590
11	पर्यवेक्षक (पुरुष)	1	3050-4590
12	नान मेडिकल सुपरवाइजर	1	4500-7000
13	एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	1	3050-4590
14	फार्मासिस्ट ग्रेड-2/स्टोर कीपर	1	3050-4590
15	रेडियोग्राफर	1	4000-6000
16	नेत्र सहायक	1	4000-6000
17	ड्रैसर ग्रेड-2	1	2550-3200
18	वाहन चालक	2	3050-4590
19	वार्ड ब्वाय	1	2550-3200
20	चतुर्थ श्रेणी	2	2550-3200
21	धोबी	1	2550-3200
22	चौकीदार	1	2550-3200
	योग	30	

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 61,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान मद में राशि रूपये 288.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान मद में राशि रूपये 334.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 15 से 16

जलगुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु केन्द्र शासन से प्राप्त राशि के उपयोग हेतु राशि रूपये 645.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 17 से 23

कबीरधाम में शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बधितार्थ विद्यालय के पद सृजन हेतु रूपये 12.48 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	अधीक्षक	01	6500-10500
2	प्रशिक्षित शिक्षक	04	4500-7000
3	व्यावसायिक प्रशिक्षक(कम्प्यूटर)	01	4000-6000
4	सहायक ग्रेड-2	01	4000-6000
5	भृत्य	01	2550-3200
6	रसोईया	01	2550-3200
7	आया	01	2550-3200
8	स्वीपर	01	2550-3200
9	वाणी/श्रवण क्षमता चिकित्सक	01	प्रति विजिट 250/- मानदेय के आधार पर सप्ताह के दो अनिवार्य विजिट की व्यवस्था के साथ 50 हितग्राहियों हेतु ।
10	नाक,कान,गला,चिकित्सक	01	प्रति विजिट 250/- मानदेय के आधार पर 50 हितग्राहियों हेतु ।
11	चिकित्सक	01	1000/- प्रतिमाह दो विजिट प्रति सप्ताह ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

राज्य शासन के निर्णयानुसार अनुसूचित क्षेत्रों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय दर में वृद्धि के कारण रुपये 120.00 का लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु राशि रूपये 2088.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 20,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 26

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 1048.15 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,48,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 27

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 28

प्रदेश के कृषक सदस्यों को 6 प्रतिशत दर पर ऋण राशि उपलब्ध कराने हेतु ब्याज अनुदान के रूप में राशि रूपये 90.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2702

मद क्रमांक 29

वृष्टिछाया क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु राशि रूपये 322.00 लाख का व्यय संभावित है । यह राशि नलकूप योजना से समर्पित कर लायी जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 30

उद्योगों को ब्याज अनुदान हेतु राशि रूपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 31 से 32

प्रदेश में हाथकरघा विकास के लिये एकीकृत हाथ करघा विकास योजना कलस्टर मुंगझर (देवभोग) जिला-रायपुर के संचालन हेतु राशि रूपये 22.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 22,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 33

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु मशीन एवं उपकरण क्रय करने के लिये राशि रूपये 53.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 34

हसदेव बांगो परियोजनांतर्गत निर्माण कार्यो पर इस वर्ष रूपये 1600.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।